भारत गणराज्य सरकार

और

त्रिनिदाद तथा टोबैगो गणराज्य सरकार

के बीच

विमान सेवा करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा त्रनिदाद तथा टोबैगो सरकार (जिन्हें एतत्पश्चात 'पक्ष') कहा गया है;

दिनांक 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष होने के नाते;

अंतरराष्ट्रीय अपने अपने राज्यक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवाओं को बढ़ावा देने की इच्छा से;

एक अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा से;

तथा

दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने की इच्छा से और विमानों की सुरक्षा के विरूद्ध कार्यों अथवा धमकियों, जिनकी वजह से व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की सुरक्षा का जोखिम बढ़ता है, विमान सेवाओं के प्रचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं तथा नागर विमानन सुरक्षा के संबंध में लोगों का विश्वास कम होता है, के बारे में अपनी गंभीर चिंता की पुनः अभिपुष्टि करते हुए ;

निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं :

भारत गणराज्य की सरकार तथा त्रिनिदाद तथा टोबैगो सरकार (जिन्हें एतत्पश्चात 'पक्ष') कहा गया है;

दिनांक 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष होने के नाते;

अंतरराष्ट्रीय अपने अपने राज्यक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवाओं को बढ़ावा देने की इच्छा से;

एक अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा से;

तथा

दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने की इच्छा से और विमानों की सुरक्षा के विरूद्ध कार्यों अथवा धमकियों, जिनकी वजह से व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की सुरक्षा का जोखिम बढ़ता है, विमान सेवाओं के प्रचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं तथा नागर विमानन सुरक्षा के संबंध में लोगों का विश्वास कम होता है, के बारे में अपनी गंभीर चिंता की पुनः अभिपुष्टि करते हुए ;

निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद-1

परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ, जहाँ पाठ में अन्यथा अपेक्षा नहीं की गई है-

(1) "वैमानिकी प्राधिकारी" का आशय एक पक्ष द्वारा समय-समय पर दूसरे पक्ष को लिखित में अधिसूचित किए अनुसार कोई प्राधिकरण;

(2) 'करार' का आशय इस करार, इसके अनुबंध तथा इसमें किये गये किसी भी संशोधन से है;

(3) 'विमान सेवा', 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, 'एयरलाइन' तथा 'गैर यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना' का आशय वही है जो इनके लिए अभिसमय के अनुच्छेद 96 में दिया गया है;

(4) 'क्षमता' का आशय इस करार के तहत मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की मात्रा से है, जिसका मापन सामान्यतः किसी विनिर्दिष्ट अवधि में, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मौसमी अथवा वार्षिक तौर पर किसी बाजार (नगर युग्म अथवा देश से देश में) अथवा मार्ग पर ऑफर की गई उड़ानों पर ऑफर की गई उड़ानों की सॅख्या (आवृत्तियों) अथवा सीटों की सॅख्या अथवा कार्गो टन के रूप में किया जाता है।

(5) 'अभिसमय' का आशय, 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें वह कोई भी संशोधन शामिल है तथा उसी समय के अनुच्छेद 94(क) के अधीन लागू किया गया है तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षों ने कर दिया है तथा इसमें इस प्रकार के अनुबंध अथवा संशोधन दोनों पक्षों के लिए भी प्रभावी है, अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन किसी भी संशोधन को अपनाया गया है;

(6) 'नामित एयरलाइन' का आशय एक ऐसी एयरलाइन से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 (नामन और प्राधिकार) के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो।

(7) 'पूर्ण् लागत' का आशय सेवा मुहैया कराने की लागत जमा प्रशासनिक व्यय के लिये औचित्यपूर्ण प्रभारों से है।

(8) 'इंटरमॉडल हवाई परिवहन' का आशय पारिश्रमिक अथवा भाड़े पर, अलग अलग या संयुक्त रूप से, यात्रियों, बैगेज, कार्गो तथा डाक का विमान तथा एकाधिक परिवहन माध्यमों द्वारा सार्वजनिक वहन किए जाने से है।

(9) 'टैरिफ' का आशय यात्रियों (और उनके सामान) के वहन और/अथवा कार्गो (डाक को छोड़कर) एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले विमान सेवा प्रभार के लिए कोई किराया दर अथवा विनिमय से है जिसमें उनके एजेंट भी शामिल हैं तथा वे शर्तें भी शामिल हैं जिनमें इस प्रकार के किराए दर अथवा प्रभार की उपलब्धता भी शामिल है;

(10) 'राज्य क्षेत्र' पद का अर्थ, वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में दिया गया है;

(11) 'उपयोगिता प्रभार' का आशय हवाईअड्डा, विमान दिक्चालन अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं अथवा सेवाओं के प्रावधान के लिए एयरलाइनों पर लगाए जाने वाले प्रभार से है जिसमें संबंधित सेवाएं तथा सुविधाएं सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद - 2

अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार में अनुबंध के उपयुक्त खंड में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को एतत्पश्चात क्रमश: 'सहमत सेवाएं' तथा "विनिर्दिष्ट मार्ग"कहा गया है।

2. इस करार के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

(क) बिना अवतरण किए दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने का अधिकार;

(ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र में रूकने का अधिकार; और

(ग) विनिर्दिष्ट मार्गो पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को इस करार के अनुबंध में मार्गों के लिए वर्णित स्थान (स्थानों) पर अन्य पक्षों के राज्यक्षेत्र में डाक सहित यात्रियों तथा कार्गो में अन्तरराष्ट्रीय यातायात अलग से अथवा संयुक्त रूप से उतारने तथा चढ़ाने का अधिकार भी होगा;

3. इस करार के अनुच्छेद 3 के अधीन उन नामित एयरलाइनों से अलग, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन (एयरलाइनें) भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उपबंध (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकारों को पाने की हकदार होगीं।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) की किसी भी बात का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में डाक सहित यात्रियों, कार्गो को विमान पर लेने का विशेष अधिकार मिल गया है जिसे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य स्थान के लिए भेजा जा रहा है।

5. यदि विशेष अथवा असामान्य परिस्थितियों के कारण एक पक्ष की नामित एयरलाइन अपने सामान्य मार्ग पर सेवा प्रचालित करने में असमर्थ है तो दूसरा पक्ष, दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से लिए गए निर्णय के अनुसार, मार्गों के उपयुक्त अस्थाई पुनः प्रबन्ध के जरिए ऐसी सेवा का सतत् प्रचालन सुगम बनाने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।

6. एक पक्ष की नामित एयरलाइनों को, गैर पक्षपातपूर्ण आधार पर, दूसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये हवाईमार्गों, हवाईअड्डों तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा ।

अनुच्छेद 3

एयरलाइनों का पदनामन तथा प्राधिकार

1. प्रत्येक पक्ष, इस करार के साथ इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए कितनी भी संख्या में अनुलग्नक में दिए गए निर्दिष्ट रूटों पर एयरलाइनों को नामित कर सकता है जितनी वह आवश्यक समझे तथा इस प्रकार के मामले को वापस ले सके अथवा फेर-बदल कर सके। इस प्रकार के नामित करने की जानकारी लिखित रूप से दूसरे पक्ष को राजनयिक माध्यम के द्वारा दी जाएगी तथा इसकी पहचान की जाएगी कि क्या एयरलाइन अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए अनुबन्ध में दिए गए विमान सेवाओं के प्रकार के अनुरूप प्राधिकृत है।

2. प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमति के लिए निर्धारित फार्म तथा तरीके से नामित एयरलाइन से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी न्यूनतम प्रक्रिया विलम्ब के साथ उपयुक्त प्राधिकार तथा अनुमति की स्वीकृति देंगे बशर्ते:-

(क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष अथवा उसके राष्ट्रिकों के पास हो;

(ख) नामित एयलाइन को उस आवेदन पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अंरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए सामान्यतः अनुप्रयुक्त कानूनों तथा विनियमों के तहत निर्धारित स्थितियों को पूरा करने की योग्यता प्राप्त हो;

(ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्ष अनुच्छेद-9 (संरक्षा) तथा अनुच्छेद-10 (विमानन संरक्षा) में निर्धारित मानकों को अनुरक्षित तथा प्रशासित कर रहा हो।

अनुच्छेद 4

प्रचालनिक प्राधिकार का प्रतिसंहरण अथवा निलम्बन

1. दोनों में से कोई भी पक्ष, अन्य पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन को प्रदत्त प्रचालन प्राधिकार का प्रतिसंहरण अथवा निलम्बन कर सकता है अथवा निम्न में से किसी भी स्थिति में जैसी आवश्यक समझे शर्तें लगा सकता है:

(क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण दूसरे पक्ष, अथवा उस पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित नहीं है।

(ख) वह एयरलाइन इस करार के अनुच्छेद-6 (कानूनों की प्रयोज्यता) में वर्णित कानूनों तथा विनियमों का पालन करने में विफल रहती है;

(ग) दूसरा पक्ष इस करार के अनुच्छेद-9 (संरक्षा) में निर्धारित मानकों को अनुरक्षित और प्रशासित नहीं कर रहा है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के पैरा (1) के उप पैराग्राफ (ख) अथवा (ग) के साथ और आगे अतिलंघन को और आगे रोकने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना अनिवार्य न हो इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का निर्वाह दूसरे पक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा।

3. यह अनुच्छेद इस करार के अनुच्छेद-10 (विमानन संरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार दूसरे पक्ष की एक एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, प्रतिसंहरण, सीमा अथवा प्रचालन प्राधिकार पर शर्तें नहीं लगतीं।

अनुच्छेद 5

सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षों की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के लिए अपने-अपने राज्य क्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने का निष्पक्ष तथा समान अवसर होगा ।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति पर दोनों पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति होगी ।

3. किसी भी पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में की जाने वाली कोई भी वृद्धि दोनों पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच समझौते के अध्यधीन होगी। ऐसे समझौते अथवा समाधान के लम्बित रहते, पहले से लागू क्षमता तथा आवृत्ति संबंधी पात्रताएं लागू रहेंगी।

4. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों/पैराग्राफों के बावजूद, प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) एक दूसरे के राज्यक्षेत्र के बीच तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों के साथ किसी भी श्रेणी के विमानों द्वारा कितनी भी संख्या में ऑल-कार्गो सेवाएं प्रचालित करने की पात्र होंगीं, जिसका इस करार के साथ संलग्न मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों से कोई संबंध नहीं होगा। ऐसी ऑल-कार्गो सेवाएं, तीसरे देशें की एयरलाइन (एयरलाइनों) समेत किसी भी अन्य एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ कोड शेयरिंग, ब्लॉक्ड स्पेस जैसे सहयोगी विपणन करारों के तहत भी प्रचालित की जा सकती हैं।

अनुच्छेद 6

कानूनों की प्रयोज्यता

1. एक पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय अथवा वहां से प्रस्थान करते समय, दूसरे पक्ष की एयरलाइनों द्वारा, विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित इसके कानून, विनियम तथा नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

2. एक पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश, इसके अन्दर रहने तथा प्रस्थान करते समय, इसके राज्य क्षेत्र से यात्रियों, कर्मीदल अथवा विमान में कार्गो (प्रवेश, क्लीयरैंस, विमान सुरक्षा, आव्रजन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संगरोध अथवा, डाक के मामले में, डाक विनिमय सहित) प्रवेश करने वाले अथवा प्रस्थान करने वाले से संबंधित इसके कानून और विनियमों का अनुपालन दूसरे पक्ष की एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मीदल अथवा कार्गो द्वारा अथवा उनकी ओर से तदनुरूप अनुपालन किया जायेगा।

3. दोनों में से कोई भी पक्ष इस अनुच्छेद में प्रदत्त कानूनों तथा विनियमों तथा प्रक्रियाओं को लागू करने में इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन में लगी हुई दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन पर किसी अन्य एयरलाइन अथवा अपनी स्वयं की एयरलाइन को कोई अग्रता प्रदान नहीं करेगा ।

4. किसी भी पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष आवागमन में, हिंसा के विरूद्ध सुरक्षोपाय, एयर पायरेसी, नारकोटिक्स कन्ट्रोल को छोड़कर, यात्री, बैगेज तथा कार्गो, एक से अधिक सामान्यकृत नियंत्रण के अध्यधीन नहीं होंगे।

अनुच्छेद 7

प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष के सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों द्वारा अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार औचित्यपूर्ण, न्यायपूर्ण, गैर-पक्षपातपूर्ण तथा प्रयोक्ताओं की सभी श्रेणियों के बीच समान रूप से संवितरित होंगे। ऐसे प्रयोक्ता प्रभारों का आकलन अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर ऐसी शर्तों पर किया जाएगा जो प्रभारों का आकलन किए जाते समय किसी अन्य एयरलाइन के लिए उपलब्ध शर्तों से कम अनुकूल न हों।

2 अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभारों में, हवाई अड्डें पर अथवा हवाई अड्डे की प्रणाली के भीतर उपयुक्त हवाई अड्डे, पर्यावरण, हवाई दिक्चालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा सेवाओं को प्रदान करने वाले सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों की पूर्ण लागत परिलक्षित होगी किन्तु ये प्रभार इन लागतों से अधिक नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण लागत में, अवमूल्यन के पश्चात, परिसंपत्तियों पर औचित्यपूर्ण रिटर्न शामिल हो सकती है। जिन सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार किए जाते हैं उन्हें एक कुशल तथा आर्थिक आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

3 प्रत्येक पक्ष अपने राज्यक्षेत्र के भीतर सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों तथा सेवाओं तथा सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाली नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों तथा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को ऐसी सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रोत्साहित करेगा जैसी की इस अनुच्छेद के पैरा (1) तथा (2) में वर्णित सिद्धांतों के अनूरूप औचित्यपूर्णता की सही सही तथा पारदर्शी समीक्षा किए जा सकने के लिए आवश्यक हो। प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोक्ताओं को प्रयोक्ता प्रभार में परिवर्तन के लिए किसी प्रस्ताव का औचित्यपूर्ण नोटिस दे जिससे प्रयोक्ता इन परिवर्तनों को क्रियान्वित किए जाने से पहले अपने मत व्यक्त कर सके ।

4. अनुच्छेद 20 (विवादों का समाधान) के अनुसरण में विवाद समाधान प्रक्रियाओं के दौरान किसी भी पक्ष को, इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान के उल्लंघन का दोषी नहीं ठहराया जाएगा, यदि:

(i) उसने उस प्रभार अथवा परिपाटी की समीक्षा का जिम्मा लिया हो जो एक औचित्यपूर्ण समय के भीतर दूसरे पक्ष द्वारा शिकायत किए जाने के अध्यधीन है; और

(ii) ऐसी समीक्षा के बाद, उसने इस अनुच्छेद के विपरित किसी भी प्रभार अथवा परिपाटी के उपचार के प्रयोजनार्थ अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाए हैं।

अनुच्छेद 8

सीमा शुल्क तथा प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष, पारस्परिकता के आधार पर, दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को इसके विमानों, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, स्पेयर पार्टज जिनमें इंजन शामिल है, नियमित विमान उपस्कर, तथा विमान भण्डार (जिसमें केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त भोजन, पेय तथा मादक पदार्थ तम्बाकू जैसी मदें शामिल हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है) तथा अन्य मदों जैसे मुद्रित टिकट ब्लॉक, एयर वेबिल्स, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर एक पक्ष की नामित एयरलाइन का चिन्ह अंकित हो तथा उस नामित एयरलाइन द्वारा प्रभार के बिना वितरित सामान्य विज्ञापन सामग्री जो केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त अपने राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत कस्टम शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा ऐसे ही शुल्कों तथा प्रभारों से छूट प्रदान करेगा ।

2. इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई छूटें केवल तब स्वीकृत की जायेंगी यदि पैरा 1 में संदर्भित मदें:

(क) अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा अथवा उसकी ओर से उस पक्ष के राज्य क्षेत्र में लाए गए हों;

(ख) अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में आगमन अथवा प्रस्थान पर एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान में रखे गए हों;

(ग) एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर उड़ान के भीतर अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में लाए गए और सहमत सेवाओं को प्रचालित करने में उपयोग हेतु प्रवृत्त हों।

3. इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई छूटें इस तथ्य से असंबद्ध लागू होंगी कि ऐसी मदों का उपयोग तथा उपभोग छूट प्रदान करने वाले पक्ष के राज्य क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से किया गया हो अथवा नहीं, बशर्ते ऐसी मदों का स्वामित्व उक्त पक्ष के राज्य में स्थानांतरित न किया गया हो।

4. किसी भी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमानों पर सामान्यत: रखी गई सामग्री, भंडारण अथवा आपूर्तियों को केवल अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में उस अन्य पक्ष के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से उतारा जा सकता है । ऐसी स्थिति में ऐसी मदों को इतने समय तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में रखा जाना अपेक्षित हो जब तक कि सीमा-शुल्कों विनियमनों के अनुसार उनका पुन: निर्यात अथवा अन्यथा निपटान किया जा सके।

अनुच्छेद 9

संरक्षा

1. दोनों में से कोई भी पक्ष, वैमानिकी सुविधाओं, विमान कर्मी, विमान और नामित विमान कम्पनी के प्रचालन से संबंधित अन्य पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के संबंध में अनुरक्षित संरक्षा मानकों से संबंधित परामर्श करने का अनुरोध कर सकेंगे। ऐसे परामर्श इस अनुरोध के 30 दिन के भीतर अथवा दोनों पक्षों के बीच जैसी सहमति हो, उतनी लंबी अवधि के भीतर किये जायेंगे ।

2. यदि परामर्श के बाद एक पक्ष को यह पता चलता है कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में वर्णित क्षेत्रों में संरक्षा मानकों, जिन्हें अभिसमय के अनुसार संरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है को अन्य पक्ष द्वारा नामित एयरलाइनों के संबंध में प्रभावी रूप से अनुरक्षित और प्रशासन नहीं किया जा रहा है तो अन्य पक्ष इस प्रकार के निष्कर्ष तथा इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप आवश्यक समझे जाने वाले कदमों को अधिसूचित कर सकेगा, तथा अन्य पक्ष उपयुक्त निवारक कार्रवाई कर सकेगा।

3. प्रत्येक पक्ष के पास अन्य पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति के निलम्बन अथवा सीमित करने का अधिकार होगा यदि अन्य पक्ष ऐसे निष्कर्ष की अधिसूचना के 30 दिन के भीतर उपयुक्त निवारक कार्रवाई न कर दे, जैसा कि अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है।

4. इस बात पर सहमति दी जाती है कि दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र से अथवा के लिए प्रचालित सेवाओं पर एक पक्ष की एयरलाइन द्वारा प्रचालित कोई भी विमान, अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र के भीतर रहते, विमान के दस्तावेजों तथा इसके कर्मी दल के दस्तावेजों की वैधता और विमान तथा इसके उपस्कर की प्रत्यक्ष स्थिति दोनों की जांच के लिए विमान के भीतर तथा इसके आस-पास, अन्य पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जांच (इस अनुच्छेद में जिसे रैम्प इंस्पेक्शन कहा जाएगा) के अध्याधीन होंगे, बशर्ते कि ऐसी जांच के परिणामस्वरूप अनौचित्यपूर्ण विलंब न हो ।

5. यदि ऐसे रैम्प इंस्पेक्शन अथवा रैम्प इंस्पेक्शनों की श्रृंखला से निम्नलिखित को बढ़ावा मिलता है:

- ऐसी गंभीर चिंताएं, कि विमान अथवा विमान के प्रचालन में, उस समय अभिसमय के अनुसरण में न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है; अथवा
- ऐसी गंभीर चिंताएं, कि उस समय अभिसमय के अनुसरण में स्थापित संरक्षा मानकों के प्रभावी अनुरक्षण तथा प्रशासन में खामी रही है;

तो रैम्प इंस्पेक्शन करने वाला पक्ष, अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनार्थ, यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि जिन अपेक्षाओं के तहत उस विमान के संबंध में, अथवा उस विमान के कर्मी दल के संबंध में प्रमाणपत्र अथवा लाइसेंस जारी किये गये अथवा वैध करार दिये गये थे, अथवा जिन अपेक्षाओं के तहत उस विमान को प्रचालित किया जा रहा है, वे अपेक्षाएं अभिसमय के अनुसरण में स्थापित न्यूनतम मानकों के समान अथवा ऊपर नहीं हैं।

6. ऐसी स्थिति में जब इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसार एक पक्ष की एयरलाइन द्वारा प्रचालित विमान का रैम्प इंस्पेक्शन किये जाने के प्रयोजनार्थ प्रवेश को उस एयरलाइन के प्रतिनिधि द्वारा मना कर दिया जाता है, अन्य पक्ष यह मानने, कि इस अनुच्छेद के पैरा 5 में संदर्भित गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं और उस पैरा में संदर्भित निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा ।

7. यदि प्रथम पक्ष, चाहे एक रैम्प इंस्पेक्शन, रैम्प इंस्पेक्शनों की श्रृंखला, रैम्प इंस्पेक्शन के लिए प्रवेश को मना कर दिये जाने, परामर्श अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि एयरलाइन प्रचालन की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो प्रत्येक पक्ष के पास अन्य पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार को निलंबित अथवा परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8. इस अनुच्छेद के पैरा 3 अथवा 7 के अनुसार एक पक्ष द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई समाप्त कर दी जायेगी यदि एक बार ऐसी कार्रवाई करने का आधार समाप्त हो जाए।

अनुच्छेद 10

विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों के अनुरूप दोनों पक्ष पुन: इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरूद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व, इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को कम किये बिना, दोनों पक्ष विशेष रूप से, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किये गये अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधि विरूद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितम्बर, 1971 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधि-विरूद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमान सेवारत विमानपत्तनों पर हिंसा वाले विधि विरूद्ध कृत्यों के दमन हेतु अनुपूरक प्रोटोकाल के साथ-साथ नागर विमानन की सुरक्षा से संबंधित ऐसी किसी भी अन्य अभिसमय तथा प्रोटोकोल, जिसका पालन दोनों पक्ष करते हों, के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2. अनुरोध किये जाने पर, दोनों पक्ष गैर कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किये जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध गैर कानूनी कृत्यों से बचाव के लिए अथवा नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद्ध किसी अन्य खतरे के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष, अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबन्धों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहाँ तक वे इन पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्य क्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वह इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

4. इस पर प्रत्येक पक्ष सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे पक्षों द्वारा उस पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय वहां से प्रस्थान करते समय या उसमें रहते समय अपेक्षित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है और उसके राज्य क्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार विमान में लादने से पहले या उसके दौरान, उस की जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किये गये हैं। प्रत्येक पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए एक दूसरे पक्ष द्वारा किये गये अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा।

5. जब किसी सिविल विमान के गैर कानूनी अभिग्रहण का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो पक्ष, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरन्त समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब एक पक्ष के पास यह विश्वास करने के औचित्यपूर्ण आधार हो कि दूसरा पक्ष इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से विमुख हो गया है, तो उस पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ तुरन्त परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। इस अनुरोध की तिथि के 15 दिनों के भीतर किसी संतोषजनक समझौते पर पहुँचने में विफल रहने पर उस पक्ष की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालनिक प्राधिकरण तथा तकनीकी अनुमति वापस लिए जाने, समाप्त किए जाने, सीमित किए जाने अथवा उन पर शर्तें लगाने का आधार बन जाएंगे। किसी आपातस्थिति में आवश्यकता होने पर एक पक्ष 15 दिनों के समाप्त होने से पहले अन्तरिम कार्रवाई कर सकता है।

7. इस अनुच्छेद के पैरा 6 के अनुसार एक पक्ष द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई समाप्त कर दी जायेगी यदि एक बार ऐसी कार्रवाई करने का आधार समाप्त हो जाए।

अनुच्छेद 11

वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइन (एयरलाइनों) को विमान सेवाओं तथा हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए अपेक्षित अन्य अनुषंगी उत्पादों तथा सुविधाओं के प्रोत्साहन तथा बिक्री के लिए अन्य संविदाकारी पक्ष में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्ष के संबंध में अन्य पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश, रिहाईश तथा रोजगार के संबंध में कानूनों विनियमों तथा नियमों के अनुसार अधिकार होगा जिससे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रबन्धकीय, बिक्री, तकनीकी प्रचालनात्मक और अन्य विशेष सेवा प्राप्त स्टाफ रखा जा सके जो विमान सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हो। स्टाफ की ऐसी अपेक्षा को, एयरलाइन के विकल्प पर, किसी भी राष्ट्रीयता वाले अपने स्वयं के कार्मिकों अथवा अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रचालित तथा ऐसे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में ऐसी सेवाएं निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य एयरलाइन, संगठन अथवा कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।

3. प्रत्येक पक्ष की कोई भी एयरलाइन अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से तथा, एयरलाइन के विवेकाधिकार पर, अपने एजेंटों के माध्यम से, हवाई सेवाओं तथा अन्य अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं तथा सुविधाओं की बिक्री में संलिप्त हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए एयरलाइन को अपने स्वयं के पारवहन दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, तथा कोई भी व्यक्ति, उस राज्य क्षेत्र की मुद्रा में अथवा स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य मुद्राओं में, ऐसे पारवहन का क्रय कर सकता है ।

4. प्रत्येक एयरलाइन को, मांग किए जाने पर, हवाई पारवहन, अन्य अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं तथा सुविधाओं के साथ साथ ऐसे राजस्व पर अर्जित वाणिज्यिक ब्याज (जिसमें अंतरण की प्रतिक्षा में रखी गई निधियों पर अर्जित ब्याज भी शामिल है) की बिक्री के संबंध में स्थानीय रूप से संवितरित राशियों से अधिक स्थानीय राजस्वों को स्वतंत्र रूप से परिवर्तित तथा परिहारित करने का अधिकार होगा । परिवर्तन तथा परिहार की अनुमति उनके संबंध में बिना किसी प्रतिबंध अथवा कराधान के, ऐसे राजस्वों को परिहार तथा परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किए जाते समय लागू विनिमय दर पर तथा चालू भुगतानों को शासित करने वाले संबंधित लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुसार, तत्परता से दी जाएगी ।

5. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में, ईंधन की खरीद समेत, स्थानीय व्ययों के लिए, स्थानीय मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति होगी । अपने विवेकाधिकार पर, प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनें अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में ऐसे व्ययों का भुगतान स्थानीय मुद्रा विनियमन के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य मुद्राओं में कर सकती हैं ।

6. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के बावजूद, इसके तहत अधिकारों का प्रयोग अंतर्देशीय नियमों तथा विनियमों के अनुसार होगा तथा दोनों पक्ष निर्धारित करते हैं कि नियमों तथा विनियमों का प्रशासन गैर-पक्षपातपूर्ण ढंग से तथा इस करार के प्रयोजन के अनुरूप किया जाएगा। यदि एक पक्ष स्थानीय राजस्व के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है तो अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा स्थानीय तौर पर वितरण किया जाएगा, इसके पश्चात् प्रथम पक्ष की नामित एयरलाइन पर आनुपातिक आधार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा ।

अनुच्छेद -12

सहकारी विपणन प्रबंध व्यवस्था

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) निम्न एयरलाइनों के साथ मिलकर सहकारी विपणन प्रबंध-व्यवस्था जैसे कोड शेयर, ब्लॉक स्पेस अथवा कोई अन्य संयुक्त उद्यम व्यवस्था संबंधी करार कर सकती हैं:-

(क) उसी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से; अथवा
(ख) दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से;

2. सहकारी विपणन प्रबंध-व्यवस्था में शामिल प्रचालक एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास मार्ग अधिकारों तथा क्षमता हकदारियों सहित अध:स्थ (अंडरलाइंग) यातायात अधिकार होंगे तथा जो ऐसी प्रबंध-व्यवस्था विषयक सामान्यत: लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी ।

3. सहकारी प्रबंधक-व्यवस्था में शामिल सभी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास अध:स्थ (अंडरलाइंग) मार्ग अधिकार होंगे तथा जो ऐसी प्रबंध-व्यवस्था विषयक सामान्यत: लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी ।

4. ऐसी प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत निष्पादित विमान सेवाओं के जरिए प्रचालित कुल क्षमता की गणना, प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता हकदारी में से की जाएगी । ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा पेश की गई क्षमता की गणना उस एयरलाइन्स को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता हकदारी में से नहीं की जाएगी ।

5. प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) के अतिरिक्त, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) से अनुमोदन हेतु अनुसूचियां फाइल करने की मांग कर सकते हैं तथा सहकारी विपणन प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत विमान सेवाएं आरंभ करने से पूर्व कोई अन्य दस्तावेज भी मुहैया कर सकते हैं ।

6. ऐसी प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत बिक्री संबंधी सेवाओं का प्रस्ताव करते समय, संबंधित एयरलाइन अथवा इसका एजेंट बिक्री के समय खरीदार को यह स्पष्ट करेगा कि कौन-सी एयरलाइन प्रत्येक सेवा सेक्टर पर प्रचालन एयरलाइन होगी तथा खरीदार कौन-सी एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ संविदागत संबंध बनाने जा रहा है ।

7. कोड शेयरिंग सेवाएं मुहैया कराने से पहले, कोड शेयरिंग भागीदार इस बात पर सहमत हों कि कौन-सा संविदाकारी पक्ष सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा (फेसिलिटेशन), दायित्व तथा यात्रियों से संबंधित अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा । ऐसे किसी करार को कोड शेयर प्रबंध-व्यवस्था को कार्यान्वित करने से पहले, दोनों पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास फाइल करना होगा।

अनुच्छेद 13

इंटरमोडल सेवाएं

प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को, यात्रियों तथा कार्गो के हवाई परिवहन के संबंध में, अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में संबंधित पक्ष के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अध्यधीन, किसी भी स्थल के लिए अथवा से कोई भी इंटरमोडल लगाने की अनुमति होगी। ऐसी एयरलाइन (एयरलाइनें) अपने स्वयं के इंटरमोडल परिवहन को निष्पादित करने अथवा अन्य वाहकों के साथ कोड शेयरिंग समेत करारों के जरिए इसे मुहैया कराने का विकल्प चुन सकती है। इंटरमोडल सेवाओं को एक थ्रू सेवा के रूप में अथवा संयुक्त रूप से हवाई और इंटरमोडल परिवहन के लिए एक सकल मूल्य पर पेश किया जा सकता है, बशर्ते यात्रियों और जहाज वाहकों (शिपर्स) को ऐसे परिवहन के प्रदाताओं के बारे में सूचित किया जाए।

अनुच्छेद 14

समय सारणियों का अनुमोदन

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से अपेक्षा कर सकते हैं कि वे सहमत सेवाएं आरंभ करने के कम से कम 30 दिन पहले, उड़ान अनुसूचियों, जिनमें सेवा की श्रेणी और इसकी आवृत्ति, प्रयुक्त किए जाने वाले विमानों की श्रेणी तथा प्रत्येक स्थान पर उड़ान के समय से संबंधित सूचना शामिल हो, उन्हें विचार तथा अनुमोदन के लिए फाइल करे। इसी प्रकार की सूचना प्रत्येक आयटा यातायात सीजन से कम से कम 30 दिन पहले भी और जब कभी भी सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाना हो, तब भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए कोई अन्य सूचना भी प्रस्तुत करेंगे कि इस करार की सभी अपेक्षाएं विधिवत रूप से पूर्ण की जा रही हैं ।

अनुच्छेद 15

आंकड़े उपलब्ध कराने का प्रावधान

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थलों का उल्लेख किया गया हो । इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के बाद 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित हैं ।

2. अनुरोध किए जाने पर प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस पक्ष के राज्य क्षेत्र को वाहित यातायात के वास्तविक उद्‌गम और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवायेंगे ।

अनुच्छेद 16

टैरिफ

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफों का निर्धारण प्रचालन की लागत तथा युक्तिसंगत लाभ सहित सभी संगत कारकों पर ध्यान देते हुए युक्तिसंगत स्तरों पर बाजार में अपनी वाणिज्यिक स्थिति के आधार पर प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा किया जायेगा।

2. पैरा(1) के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ को एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा अन्य पक्ष के वैमानिक प्राधिकरणों में फाइल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा

3. उपर्युक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्ष को निम्नलिखित के संबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा:-

(क) उन टैरिफों की रोकथाम जिनके अनुप्रयोग से प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार उत्पन्न हो, जिसके कारण वर्तमान में या भविष्य में प्रतिस्पर्धी को नुकसान पहुंचे या प्रतिस्पर्धी को किसी मार्ग से अलग करे;

(ख) उपभोक्ताओं को उस टैरिफ से सुरक्षा प्रदान करना जो किसी प्रभावशाली स्थिति के दुरूपयोग के कारण अत्यधिक या निबंधनात्मक हो;

(ग) एयरलाइनों को उन टैरिफों से बचाव प्रदान करना जो पूर्वतिथिक या कृत्रिम रूप से निम्न हो।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 3 में निर्धारित उद्देश्यों के लिए एक पक्ष के वैमानिक प्राधिकरणों द्वारा टैरिफ के निर्धारण से संबंधित सूचना अन्य पक्ष की नामित एयरलाइनों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

5. यदि एक पक्ष का यह विश्वास है कि दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा वसूले जाने वाला प्रस्तावित टैरिफ इस अनुच्छेद के पैरा 3 में निर्धारित विचारों के अनुरूप नहीं है तो वह यथासंभव शीघ्र दूसरे पक्ष को अपने असंतोष के कारण से अवगत करायेगा तथा परामर्श का अनुरोध करेगा और यह परामर्श अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के पश्चात 30 दिनों के भीतर आयोजित किये जाने चाहिएं। यदि पक्ष असंतोष के कारणों से टैरिफ के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचते हैं तो प्रत्येक पक्ष को उस करार को प्रभाव में लाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे । आपसी करार के अभाव में पूर्व में विद्यमान टैरिफ प्रभावी रहेंगे।

अनुच्छेद 17

बहुपक्षीय करार

1 इस करार के कार्यान्वयन में संविदागत पक्षों को अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना चाहिए क्योंकि ये प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर लागू हैं।

2. इस करार के लागू होने के पश्चात यदि दोनों पक्ष इस करार में शामिल मामलों का समाधान करने वाले बहुपक्षीय करार के पक्ष बन जाते हैं तो कोई भी पक्ष इस आशय के परामर्शों के लिए अनुरोध कर सकता है कि क्या बहुपक्षीय करार को ध्यान में रखते हुए इस करार में संशोधन किया जाए।

अनुच्छेद 18

परामर्श

1. कोई भी पक्ष, किसी भी समय, इस करार के अर्थ-व्याख्यान, कार्यान्वयन, कार्यविधि या संशोधनों पर या इस करार के अनुपालन पर परामर्श का अनुरोध कर सकता है।

2. जब तक अन्यथा दोनों पक्षों द्वारा सहमति न हो, ऐसे परामर्श दूसरे पक्ष द्वारा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर आरंभ होंगे।

अनुच्छेद 19

संशोधन

1. इस करार को पक्षों के लिखित करार द्वारा संशोधित किया जाएगा ।

2. इस प्रकार सहमत कोई भी संशोधन इस करार के अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के मद्देनजर लागू होगा ।

3. पैरा (2) के बावजूद, पक्ष इस करार के अनुबंध में संशोधन को तत्काल लागू करने पर सहमत हो सकते हैं ।

अनुच्छेद - 20

विवादों का निपटान

1. इस अनुच्छेद के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसे औपचारिक परामर्श के पहले दौर में सुलझाया नहीं जा सका हो, पक्षों की सहमति से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को भेजा जा सकता है । यदि पक्ष इस प्रकार सहमत नहीं होते हैं, तो विवाद को, किसी भी पक्ष के अनुरोध से, निम्नानुसार स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप माध्यस्थ को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

2. मध्यस्थता एक निम्नानुसार गठित तीन मध्यस्थों के एक अभिकरण द्वारा की जाएगी :

(क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ का नाम बताएगा । इन दो मध्यस्थों का नाम आने के बाद 60 दिन के भीतर, वे सहमति से एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो माध्यस्थता अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा ।

(ख) यदि कोई भी पक्ष एक मध्यस्थ का नाम बताने में विफल रहता है, अथवा इस पैरा के उप-पैरा (ख) के अनुरूप तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं होती है, तो कोई भी पक्ष 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है । यदि परिषद का अध्यक्ष दोनों पक्षों में से एक पक्ष की राष्ट्रीयता वाला है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष जो इस आधार पर अयोग्य न हो, यह नियुक्ति करेगा । अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम उपाध्यक्ष द्वारा इस पैरा के अंतर्गत तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने की स्थिति में, उस तीसरे मध्यस्थ की राष्ट्रीयता किसी भी पक्ष की राष्ट्रीयता नहीं होगी ।

3. अन्यथा सहमति होने की स्थिति को छोड़कर, मध्यस्थ अभिकरण इस करार के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगी और अपने प्रक्रियागत नियम स्थापित करेगा । एक बार बन जाने के बाद, यह अभिकरण अपने अन्तिम निर्णय के लम्बित रहते अंतरिम राहत उपायों की अनुशंसा कर सकता है । अभिकरण के निदेश अथवा किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, अभिकरण के पूरी तरह गठित हो जाने के बाद पंद्रह (15) दिनों के भीतर मध्यस्थता के निश्चित मुद्दों तथा अनुसरित की जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक बैठक की जाएगी ।

4. अन्यथा सहमति होने को छोड़कर अथवा अभिकरण द्वारा यथा निर्देशित, प्रत्येक पक्ष अभिकरण के पूरी तरह गठित होने के समय के 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा । उत्तर 60 दिन बाद देय होंगे । अभिकरण किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तरों के देय होने के बाद 15 दिन के भीतर एक सुनवाई करेगा ।

5. अभिकरण सुनवाई के पूरा होने के 30 दिन के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हुई हो, तो दोनों पक्षों के उत्तर प्रस्तुत किए जाने के बाद, एक लिखित निर्णय प्रदान करेगा। अभिकरण के बहुमत का निर्णय मान्य होगा ।

6. दोनों पक्ष निर्णय के लिए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के अनुरोध कर सकती हैं तथा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा ।

7. प्रत्येक पक्ष, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक माध्यस्थ अभिकरण के किसी भी निर्णय अथवा अवार्ड को पूर्ण रूप से प्रभावी करेगा ।

8. मध्यस्थ अभिकरण के व्ययों को, जिनमें मध्यस्थों के शुल्क तथा खर्चे शामिल हैं, पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा । इस अनुच्छेद के पैरा 2 के उपबंध (ख) की प्रक्रियाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय को मध्यस्थ अभिकरण के व्ययों का भाग माना जाएगा ।

अनुच्छेद 21

समाप्त करना

कोई भी पक्ष, किसी भी समय, इस करार को समाप्त करने के अपने निर्णय की सूचना अन्य पक्ष को लिखित में दे सकता है । ऐसी सूचना साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेजी जाएगी । उस अन्य पक्ष द्वारा ऐसी सूचना के प्राप्त होने की तिथि की प्रथम वर्षगांठ की मध्य रात्रि को महीने बाद यह करार समाप्त हो जाएगा, यदि इस सूचना को इस अवधि की समाप्ति से पहले पक्षों के समझौते से वापस न ले लिया जाए । अन्य संविदागत पक्ष द्वारा पावती दिए जाने के अभाव में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा नोटिस प्राप्त होने के पश्चात चौदहवें दिन को नोटिस प्राप्त किया माना जाएगा।

अनुच्छेद 22

इकाओ में पंजीकरण

अनुबंध में संशोधनों के अलावा इस करार तथा इसके अन्य संशोधन हस्ताक्षर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत होंगे ।

अनुच्छेद 23

प्रभावी होना

यह करार दोनों पक्षों के बीच बाद की तिथि राजनयिक नोट्स के आदान-प्रदान के बाद लागू होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्रत्येक पक्ष ने इस करार तथा इसके अनुबंध के प्रभावी होने के लिए आवश्यक आन्तरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होते हुए, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज, 6 जनवरी, 2012 को नई दिल्ली में दो (2) मूल पाठों में, हिन्दी व अंग्रेजी में हस्ताक्षरित। ये सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इनकी विवेचना के संबंध में कोई मतभेद होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य सरकार

नामः डॉ. सूरजरत्तन रामबचन
पदनामः विदेश एवं संचार मंत्री

कृते भारत गणराज्य सरकार

नामः अजित सिंह
पदनामः नागरिक उड्डयन मंत्री